

जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 58 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.099 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 350000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील - नीमकाथाना जिला सीकर में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक 18.09.2025 कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा निर्धारित की गई जिसकी अनुपालना में उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 03:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरण-

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/2229 दिनांक 01.08.2025 एवं क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ-सीकर/एसआईके- पीएच-030/1127 - 1134 दिनांक 04.08.2025 के अनुपालना में मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 58 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.099 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 350000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील - नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) की क्लस्टर मय खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) की अध्यक्षता में खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 18.09.2025 को आयोजित की गई।

Minutes

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र राष्ट्रदूत के संस्करण में दिनांक 07.08.2025 एवं पंजाब केसरी के संस्करण में दिनांक 07.08.2025 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स परिवेश इन्वायरमेन्टल इन्जीनियरिंग सर्विसेज, जयपुर की तकनीकी सलाहकार श्री मुजामील खान के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई तथा ग्रामीण पंचायत से परामर्श कर उचित व्यवस्थाएँ की जायेगी।

Amrita

[Signature]

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, सीकर एवं श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

तत्पश्चात् जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति/सुझाव प्रकट किये गये जो कि निम्नानुसार है :-

1. दांताराम गुर्जर, ग्राम भुजा ने बताया कि प्लॉट में 58 से घर की दूरी 50 मीटर है वो नहीं बता रहे है एवं दूसरा मकान सवायचक भूमि पर है। लगभग 300 मीटर दूरी पर दीपावास बड़ा बांध है। दूसरा बांध 200 मीटर मोकलवास में है, 4 जोहड़ है नजदीक में, 400 से 500 गाय एवं नील गाय है जिनकी जीवन रेखा दोनो बांध पर निर्भर है, उनके आने - जाने का रास्ता भी नहीं रहेगा। दास की ढाणी 300 मीटर है वो नहीं दिखा रहे है।
2. सुमेर सिंह जी गांव मोकलवास ने बताया कि मोकलवास ग्राम पंचायत है जो कि एक प्राचीन सभ्यता है। 1100 वर्ष से इस गांव में मेला लगता है। यदि यहां खनन पट्टा आवंटित किया जायेगा तो श्रदालुओं के आने-जाने के लिए रास्ता नहीं रहेगा। भैरू मन्दिर जो कि 100 मीटर पर है। 150 मीटर पर दास की ढाणी की आबादी है, 02 एनिकट उक्त खसरे नम्बर पर है।
3. जितेन्द्र मीणा, ग्राम मोकलवास ने बताया कि खातेदारी जमीन कलस्टर से 0 से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। खसरा नम्बर 971, 972, 973, 974, 975 एवं 978 है इस पर पुराना मोकलवास बसा हुआ है।
4. भवानी सिंह मीणा, ग्राम मोकलवास ने बताया कि खसरा नम्बर 303 में खातेदारी जमीन पर राजकीय बिजली कनेक्शन है जिसपर खेती एवं पशुपालन कर रहे है।
5. नागरमल मीणा, ग्राम दास की ढाणी ने बताया कि खसरा नम्बर 1152 में कुआँ, मकान और 02 जोहड़ बने हुए है। पशु भी यहां चरते है।
6. ओंकारमल पुत्र रामजीलाल, ग्राम मोकलवास ने बताया कि खसरा नम्बर 981/1152 में कई वर्षों से खेती, पशुपालन करते है।

Minister



7. श्री हरदान पुत्र श्रीराम, ग्राम भुजा ने बताया कि सवायचक में मेरी बसावट, पक्का मकान एवं बिजली कनेक्शन है।

सभी ग्रामवासियों ने कहा कि खनन कार्य यदि 300-400 फीट तक किया जायेगा तो गायों का कैसे आना-जाना होगा। ग्रामवासियों ने कहा कि पानी कहाँ से लेकर आवोगें, यहां पर पहले से ही पानी की समस्या है जो कि डार्कजोन में आ रहा है। आस-पास के तालाब एवं नदियां खत्म हो जायेगी।

इसके पश्चात् इकाई प्रतिनिधि ने सभी ग्रामवासियों से अनुरोध किया कि आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य किया जायेगा। परन्तु सभी ग्रामवासियों ने इकाई प्रतिनिधि को बोलने का मौका नहीं दिया और उपस्थिति पंजिका पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। जबकि जन सुनवाई के दौरान लगभग 90 से 100 उपस्थित थे तथा जन सुनवाई का विरोध किया गया।

अन्य 05 प्रस्तावित खनन परियोजनाओं हेतु भी कार्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में जनसुनवाई दिनांक 18.09.2025 को आयोजित थी। प्रस्तावित खनन परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:-

1. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 53 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.830 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील - नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।
2. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 55 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.830 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील - नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।
3. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 56 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 3.6425 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 750000 टन प्रति वर्ष

Daivda

b

(रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील — नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।

4. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 57 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.79346 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील — नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।
5. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 54 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.5010 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 380000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील — नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित सभी व्यक्तियों को बताया गया कि 05 अन्य प्रस्तावित खनन परियोजना संबंध में विस्तृत जानकारी खनन प्रतिनिधि द्वारा दी जानी है परन्तु उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि सभी जनसुनवाई में हमारे द्वारा दिए गए सुझाव आपत्ति समान ही रहेंगे एवं सभी प्रस्तावित खनन परियोजनाओं का विरोध करते हैं।

सभी ग्रामवासियों से आग्रह किया कि यदि उन्हें इस परियोजना से किसी प्रकार की कोई सुझाव/आपत्ति हो तो मौखिक व लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान इस खनन परियोजना से सम्बन्धित लिखित में 04 सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई।

जन सुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना एवं क्षेत्रीय अधिकारी, सीकर द्वारा सभी ग्रामवासियों एवं इकाई प्रतिनिधि के सहयोग से कार्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास के परिसर में वृक्षारोपण किया गया तथा जन सुनवाई समाप्त होने के पश्चात् सभी ग्रामवासियों को पौधों का वितरण किया गया।

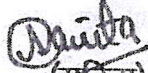
अंत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/

Datta

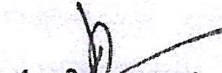
[Signature]

जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक
आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।
जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।


(सविता)

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर


(भागीश्वरी शाख)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नीमकाथाना

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 58, क्षेत्रफल 2.099 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 350000 टनप्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास तहसील - नीमकाथाना जिला सीकर में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 03:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में निर्धारित की गई।

स्थान :- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर ।

दिनांक :- 18.09.2025

समय :- दोपहर 03.00 बजे (गुरुवार)

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
	Summer Singh meena	9521417739
	Suman	9024479159
	अकिश कुमार	Akith
	Dinesh Kumar Jaron	
-	Bhagirath Shakti ADM	
	Savita, Ro, RSPCB, Sikar	Savita
	Abhishek Sharma, PP Anhad Minerals Pvt. Ltd	
	521143	

प्रेषक:

समस्त ग्रामवासी

ग्राम — मोकलवास

पंचायत — मोकलवास

तहसील — नीमकाथाना

जिला — सीकर (राजस्थान)

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,

सीकर

विषय: ग्राम मोकलवास के निकट प्रस्तावित खनन परियोजना के विरुद्ध आपत्ति पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हमारे गाँव मोकलवास (खसरा नं. 1152/981) के पास खनन परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है और इसके संबंध में पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। हम समस्त ग्रामवासी इस परियोजना का पुरजोर विरोध करते हैं और निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज करवाना चाहते हैं:

1. स्वास्थ्य पर प्रभाव

खनन कार्य से उत्पन्न होने वाली धूल और प्रदूषण से गाँव में अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलेंगी, जैसे — अस्थमा, टीबी, सिलिकोसिस, इस्ट एलर्जी एवं फेफड़ों के रोग। यह वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का उल्लंघन है।

2. जल पर प्रभाव

प्रस्तावित खनन क्षेत्र गाँव की सिर्फ 200 मीटर दूरी पर है और गाँव के आसपास स्थित तालाब इसी खनन क्षेत्र की परिधि में आते हैं। साथ ही, दो बड़े बांध लगभग 400 मीटर दूरी पर हैं, जिनसे हमारे गाँव की पेयजल व सिंचाई की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। खनन से भूजल स्तर में गिरावट और तालाब व बांधों के प्रदूषित होने का गंभीर खतरा है। यह जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का सीधा उल्लंघन है।

3. कृषि पर प्रभाव

खनन से उड़ने वाली धूल खेतों की उपजाऊ भूमि पर जम जाएगी, जिससे उत्पादन घटेगा और किसानों की आजीविका संकट में पड़ जाएगी। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा EIA Notification, 2006 का उल्लंघन है।

4. पशुधन एवं जीव-जंतु पर प्रभाव

हमारे गाँव में लगभग 200-300 बकरियाँ व भेड़ें तथा 300-400 गायें इन्हीं घरागाह भूमि, तालाब व आसपास की हरियाली पर आश्रित हैं। यदि खनन हुआ तो चारे की भारी कमी होगी और दूषित पानी पीने से मशुओं में बीमारियाँ फैलेंगी। यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की भावना के विपरीत है।

5. निकटता एवं सांस्कृतिक/धार्मिक महत्व

खनन स्थल पर स्थित प्राचीन बेरुजी महाराज का मंदिर गाँव की आस्था एवं सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ है। खनन कार्य से मंदिर की पवित्रता, शांति और संरचना पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह राजस्थान, खनन नियम, 2017 तथा EIA Notification, 2006 की भावना के विपरीत है।

6. जनसुनवाई की अध्यक्षता संबंधी आपत्ति

चूँकि यह खनन परियोजना क्लस्टर योजना के अंतर्गत आती है, अतः इसकी जनसुनवाई की अध्यक्षता केवल माननीय जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी को करनी चाहिए। किसी कनिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा जनसुनवाई कराना नियम व प्रक्रिया की गंभीर अवहेलना होगी।

अतः हम समस्त ग्रामवासी विनम्र निवेदन करते हैं कि उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति न दी जाए। यह परियोजना हमारे गाँव के स्वास्थ्य, पर्यावरण, खेती, जल स्रोत और धार्मिक धरोहर के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी।

दिनांक: 18/09/2025

स्थान: ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर

भवदीय,

समस्त ग्रामवासी

ग्राम मोकलवास

किशोरी लाल शर्मा
7976928650

जितेन्द्र शर्मा

8000436186

(9521417737)

नागर

9928572905

मोहन सिंह

9521134228

सरवण सिंह

9799814757

रामचन्द्र

8769280478

विक्रम सिंह

8302042716

2222222222

मुकेश शर्मा

6378756630

जगदीश सिंह

9636108158

सुदेन सिंह

9950956698

हरदान अर्जर

9461396461

पूजा सिंह

9799760561

रघुवीर सिंह

8690784187

उमेश

8094551023

श्रीनिवास शर्मा

9950997898

उमेश शर्मा

8290236393

आलू शर्मा

9587463737

जालालाबादी

8769250336

नवीन शर्मा

9680603099

जगनलाल शर्मा

9352539217

शिव शर्मा

8094551023

PC 1306 1277

काठिना लाल मीणा

78.52 63 8153

श्री राम
950156 0059

श्री राम लाल मीणा
785006 8247

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

97 84 60 90 82

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

80036 63639

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

96 36 08 35 17

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

8302 567728

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

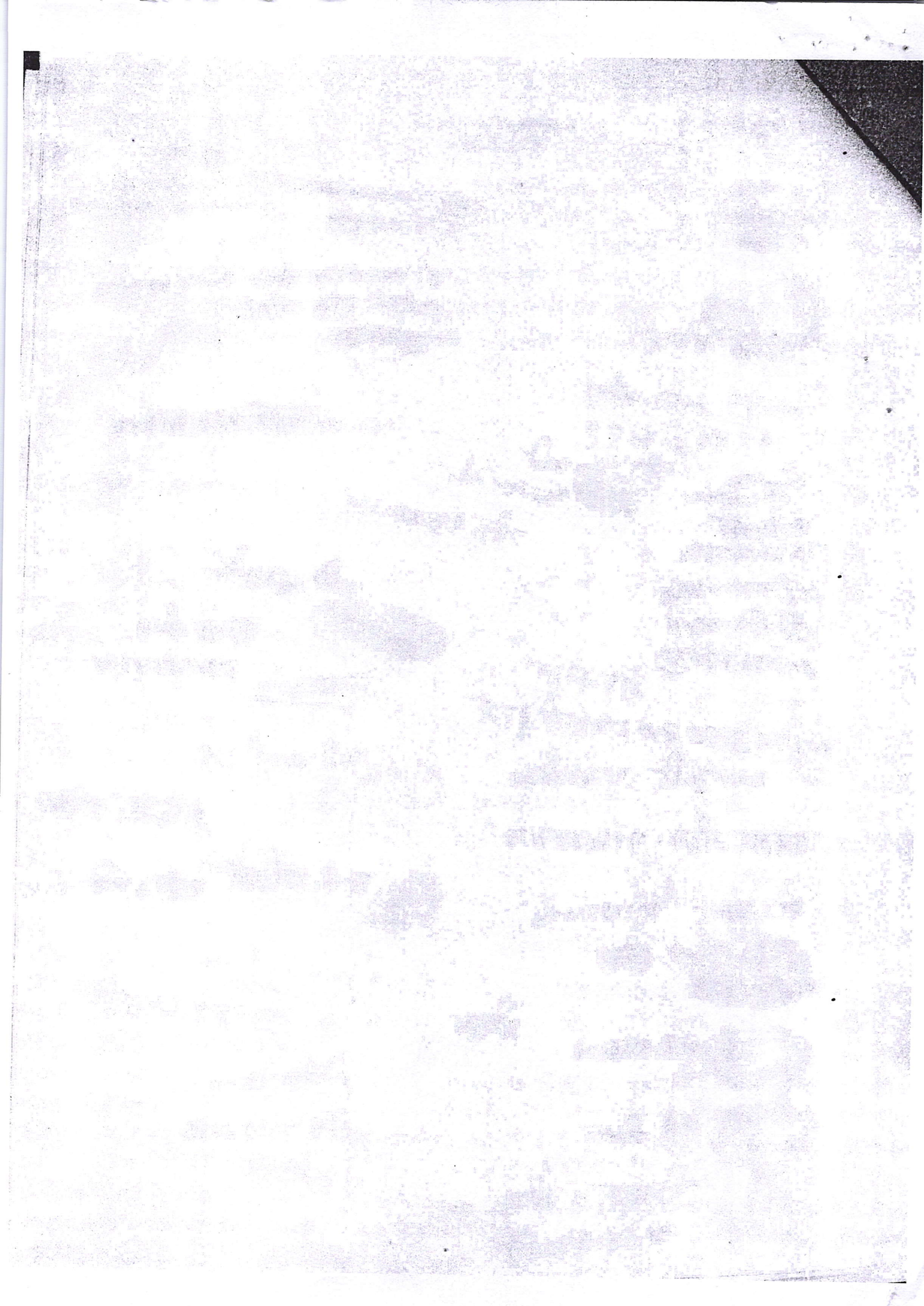
श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

श्री राम लाल मीणा

79 76 92 83 20



सेवा में

(2)

माननीय ADM महोदय जिला सीकर

तहसील - नीमकाधाना

जिला - सीकर (राजस्थान)

विषय : खनन परियोजना के निकट स्थित हमारी खेतीदारी भूमि की सुरक्षा हेतु आवेदन।

महोदय,

निवेदन है कि हमारे ग्राम मौकलवास में एक खनन परियोजना स्थापित कि जा रही है। उक्त प्रस्तावित खनन स्थल हमारी खेतीदारी भूमि के बिल्कुल समीप स्थित है जिसकी दूरी माइनिंग क्षेत्र से 0 से 10 मिटर है। इस कारण हमें जमीन समस्याओं का सामना करने पड़ेगा।

1. खनन कार्य से उत्पन्न होने वाला धूल, प्रदूषण एवं कंपन हमारी भूमि के उर्वरता पर बहिर्मुखल प्रभाव डालेगा।
2. खनन के कारण भूजल स्तर में गिरावट आयेगी-
3. खनन स्थल नजदीक होने के कारण हमारी खेती योग्य भूमि को फसल पड़ने, बंजर होने एवं फसल उत्पादन में कमी होनेका डर है।
4. हमारी जमीन ही हमारा जीवनयापन का साधन है।

अतः आपसे निवेदन है कि हमारी खेतीदारी भूमि के निकट खनन पहा/परियोजना के स्वीकृति प्रदान न की जाए तथा किसानों के अधिकार की रक्षा की जाए।
अवसरानुसार 971, 972, 973, 974, 975, 978, है।

भवदीय

नाम सुन्दर लाल मीणा
पिता - रणजिता मीणा
ग्राम - मौकलवास
पंचायत - मौकलवास

Number
9980454199

सुखी मीठा

7976998323

सुखी मीठा

8301661200

सुखी मीठा

8890214014

सुखी मीठा

किरौरी लाल मीठा

7976928650

श्रीमान ADP महोदय:

जनकूनवाड़ी हमारी ग्राम भोक्तलवास

जिला सीकर.

विषय : खनन परियोजना के निकट हमारी खातेदारी की जमीन व हमारा घर की सुरक्षा हेतु।

महोदय :-

निवेदन है कि हमारे ग्राम भोक्तलवास में एक खनन परियोजना स्थापित कि जा रही है। अतः प्रस्तावित खनन स्थल हमारी खातेदारी की जमीन व घर के समीप स्थित है जिसकी दूरी माइनिंग क्षेत्र के 200 से 400 मीटर है। इस कारण हमारी घर कि डिवाले टूट सकती है और हमारी जमीन की उपजाऊता खत्म हो जायेगी।

1. खनन कार्य के दौरान होने वाले धरास्त से घर कि डिवाले टूट सकते है।
2. हमारी जमीनों कि उपजाऊ पन नष्ट हो जायेगी।
3. इससे दूर स्थित 300 मीटर 1000000 लीटर ^{पानी} क्षमता वाला खाँध है खनन कार्य के पानी प्रदूषित हो जायेगा। पानी कि कमी का जायेगी।
4. इसकी दूरी खाते की अलावा अन्य हमारे पास कोई अन्य रोजगार नहीं है।

ध्वसंकेत संख्या. 434, 435

पिता - ^{सुबोध} बड़ी उमाद जीणा
नाम लबीव जीणा
सुभाष राव जीणा
बेहताजी जीणा
काका लाल जीणा
ग्राम भोक्तलवास

~~9680405808~~

has has
9950454199

जितेन्द्र मीणा
8000436186

सोन मीणा

7852004517

शेखर मीणा

8890214074

सुरेश मीणा

8901661200

तमरा मीणा

9930106548

विजय कुमार मीणा

9352525934

संदीप मीणा

6378727278

राहुल सिंह

7073669804

सेवान्वित

जीवान अतिरिक्त निमा स्लेडर भोदम,
जन सुनार प्रचारी ग्राम पंचायत

मोडलवास - टोडा नीमकाधाना सीड 332705-

विषय :- खसरा नं. 1137/303 के नजदीक हमारी बुधि भूमि के सेवान्वित के प्रार्थना - पत्र ।

भोदम

अभिन्न मित्र हैं । कि प्रार्थी बुद्धीलाल भीना ग्राम मोडलवास का निवासी है । हमारे पिताजी, प्रचारा राम का सुखाराम की जमीन

खसरा नं. - 306, 308, 309, 310, 313, 314, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 360, 362, 364, 410 खाता संख्या नं. 84 के

बुधि भूमि खसरा नं. 303, 304, 305 इसमें भी हम 150 साल से जोती कर रहे हैं, पशुपालन करा रहे हैं । इसी पुरों तरफ हमारी तरफ की ओर वाडासी है । इसमें कई सालों पहले सुनार के दिखाने के बड़ा लस्कर अपने ऊपर में दिख रहे हैं । और अब वहाँ लीज के लिए आवंटित कर दिया है । इसलिए जीवानी से मित्र हैं हमारी खसरा की जमीन की मासिंग और सन

पलमे से उर्फ ल अमरा खसरा और नष्ट होगी । जो कि खसरा नं. 303 के आस-पास है । इसलिए पुरा ^{पुनार} और आस-पास ^{पुनार} के लक्ष आगे के हैं, और इसके आगे हैं । इसके आलावा हमारे पास-बगई का कोई साधन नहीं है । इसके ऊपर हम मित्र हैं ।

- बुद्धीलाल भीना

प्रार्थी

नाम - बुद्धीलाल भीना
ग्राम - मोडलवास तहसील, जिला
पिता - सीड

६/५/१५

दिनांक
18-09-2005

9690405808

शेखर लीला

884021404

सुनेश मीना

8901661200

सुभाष मीना

8202567775

रमण लीला

9950106548

विजय मीना

9588231038

विश्वेश कुमार मीना

9352525934

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- मोकलवास
पटवार हल्का :- मोकलवास
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- टोडा
तहसील :- नीम का थाना
जिला :- सीकर
कायतकार का नाम :-

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2075 - 2078

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 84

खाता संख्या पुराना :- 82

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2075-2078
जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी

1. प्रभाता पुत्र सुरजा हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
306	0.2300	बारानी 2	0.2300	0.92		
308	0.0900	बारानी 2	0.0900	0.36		
309	0.5400	गै.मु.पटपड़	0.5400			
310	0.0600	बारानी 2	0.0600	0.24		
313	0.4200	बारानी 2	0.4200	1.68		
314	0.3500	बारानी 2	0.3500	1.40		
317	0.0300	बारानी 2	0.0300	0.12		
318	0.0200	बंजड़	0.0200	0.04		
319	0.0200	बारानी 2	0.0200	0.08		
320	0.0300	बारानी 2	0.0300	0.12		
322	0.0400	बारानी 2	0.0400	0.16		
323	0.0600	गै.मु.पटपड़	0.0600			
324	0.0300	बारानी 2	0.0300	0.12		
360	0.0200	बारानी 1	0.0200	0.12		
362	0.0300	बारानी 1	0.0300	0.18		
364	0.0400	बारानी 2	0.0400	0.16		
410	0.0400	बारानी 2	0.0400	0.16		
कुल खसरे -17		2.0500	5.8600			

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - P

प्रतिलिपि सं. - 140612

दिनांक व समय -16/Sep/2025 04:24:00 PM

पता - B

आई.पी. - 10.70.244.252

नकल जारी करने का स्थान - नीम का थाना

यू.एस.एन - 23138137128401

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qx.aspx?usn=23138137128401>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता -

BRJESH.KUMAR@RAJASTHAN.GOV.IN

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 18/Jul/2019 02:01:00 PM

पद - तहसीलदार



WTC

मंत्रालय - मेन्सर्स अन्ध्र मिनेरियो प्राइवेट लिमिटेड, फ्लाट नंबर 68, खसरा नंबर 1152/981, फिक्टोरियम मोकसखार, तहसील नौमकाया, जिला सोनकर में प्रस्तावित पेक्षा परतरी की छनन परियोजना हेतु पर्यावरण सहीकृति के दिश ठोका सुनवाई।

1. सुई साधारण की सुविधा कियो जाता है कि आबेकस मेन्सर्स अन्ध्र मिनेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित मान्गिना ग्राम मोकसखार, तहसील नौमकाया, जिला सोनकर में स्थित है कि संशोधित प्राप्तिना पदम गस्तवस्तो पर्यावरणीय सहीकृति सुई आबेकस समुह छनन परियोजना ठोका सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यारी तथा बाढ) में मंडल के निमन से अभिलिखित की प्रस्तुत कियो जाय।

2. और सुनवाई मेन्सर्स अन्ध्र मिनेरियो प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल उरी उक्त परियोजना की पर्यावरणीय सहीकृति हेतु सुई आबेकस समुह छनन परियोजना की ठोका सुनवाई हेतु मंडल को सादरय प्रस्तुत कियो है। जल्द परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अभिलिखित सूचना परत.ओ। 1653 दिनांक 14.09.2006 हेतु एन ओ 141 ई दिनांक 01.01.2016 के प्राप्तिना के अनुसार में एन सुनवाई हेतु वन अगस्त की सुनवाई जारी कर 30 दिन का नोटिस दिया जामा झालकस है।

3. उक्त परियोजना से संबंधित सहीकृति अभिलिखित (आयकरी साधारण) एवं सहीकृति कार्यालयक सतर अभिलिखित विमन कार्यालयी में अवलोकनवाही उत्तरवाई।

i. जिला कलेक्टर, सोनकर।

ii. आरक्षक जिला कलेक्टर, नौमकाया, जिला-सोनकर।

iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुम्बयवाडा, 4, संस्थाधिक क्षेत्र हाकना हुारी, जयपुर।

iv. शीक्षी कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलसंधि मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, जयपुरभवन झालना संस्थाधिक क्षेत्र जयपुर।

v. महाप्रबन्ध, जिला उद्योग केन्द्र, सोनकर।

vi. उपखंड आर्थिकी नौमकाया, जिला सोनकर।

vii. शीक्षीय प्रबन्धक, सोनकर।

viii. ग्राम प्रबन्धक, मोकसखार, तहसील-नौमकाया, जिला-सोनकर।

ix. राजीत गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकसखार, तहसील नौमकाया, जिला सोनकर।

x. निदेशक पर्यावरण विभाग, कान्त संख्या 8240 द्वितीय वल, 3-ए (सिवाकरी) भवन, ताँविकावन, जयपुर।

xi. शीक्षीय सहीकरी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सोनकर, जिला सोनकर-I

अतः सुई साधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सोनकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.06.2025 के क्रम में वन अमन सुचना के माध्यम से लोत दिया सुविधा कियो जाता है कि उक्त समुह छनन परियोजना की पर्यावरणीय सहीकृति से संशोधित एन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (युक्तकर) को दिनांक 30.09.2025 तक, संपन्न-योजनी बागी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकसखार तहसील नौमकाया में जिला सोनकर में उपस्थित प्रबन्धक अमर दिवाकराभाईक अक्षय/प्रबन्धक प्रस्तुत कर सकते हैं। राप्ति की द्वारा संशोधित में निश्चित सुनवाई/आपति परित परत सुचना के प्रबन्धन के प्रबन्धन की तिरि से 30 दिवस के अंतर शीक्षीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सोनकर जिला सोनकर में दिये जा सकते हैं। यह अमन सुनवाई शीक्षीय महाराणी की ओडि-19 से संशोधित के-टीएम/आपति सरकारी द्वारा समय-समय परित निर्देशों के अनुसार एवं अग्रिय रहती जाय प्राप्तिना/प्रस्तावना की प्राप्ति सुनिश्चित करनी होय।

शीक्षीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सोनकर।

